



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 112-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 5, 2019 (ASADHA 14, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 2019

संख्या 66/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 5th July, 2019

No. 66/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.